राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 1299/2023

मुनेश कुमारी –अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.01.2023
आदेश की दिनांक : 18.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थिया द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि अपीलार्थिया का स्थानांतरण निमराना, अलवर में किये जाने के निर्देश दिये जाएं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 14.10.2022 के द्वारा अपीलार्थिया का स्थानान्तरण जिला क्षय निवारण केन्द्र, टी.बी. रतनगढ, चूरू से उप केन्द्र, एटा. सूरतगढ, श्रीगंगानगर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थिया के पति हैल्पर द्वितीय के पद पर जेवीवीएनएल में कार्यरत है जो वर्तमान में नीमराना, जिला अलवर में कार्यरत है। राज्य सरकार की यह नीति रही है कि पति–पत्नी को एक ही स्थान पर कार्यरत रखा जाए। परन्तु इस नीति के विरूद्ध अपीलार्थिया का स्थानान्तरण कर दिया गया था और वर्तमान में अपीलार्थिया सूरतगढ श्रीगंगानगर में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थिया को काफी कठिनाई हो रही है।
2. हमने अपीलार्थिया द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थिया ने अपील प्रस्तुत करने से पूर्व कोई अभ्यावेदन अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को नहीं दिया। ऐसे में अपीलार्थिया द्वारा सीधे ही अधिकरण के समक्ष की गयी अपील राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के विरूद्ध है।
3. अतः अपील स्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलार्थिया प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगी।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)